

मध्यप्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय,  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

क्रमांक/714/1116/2020/20-3

भोपाल दिनांक 31/12/2021

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 17 फरवरी 2022 से निर्धारित हायरसेकेण्डरी एवं हाईस्कूल परीक्षाओं के दौरान नकल की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण रहे तथा परीक्षायें निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा कार्य के निरीक्षण के उद्देश्य से राज्य शासन एतद् द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सह पदेन अपर संचालक, शिक्षा को, 'नोडल अधिकारी' नियुक्त करता है।

*Lashi*

प्रमुख सचिव  
स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/715/1116/2020/20-3  
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक: 31/12/2021

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह पदेन अपर संचालक, शिक्षा की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि परीक्षायें निर्विघ्न सम्पन्न करवाएं तथा निरंतर सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संपर्क स्थापित रखकर प्रतिदिन परीक्षा के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रेषित करें।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*Lashi*

प्रमुख सचिव  
स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,  
मध्यप्रदेश, भोपाल